यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.153/2019 दिनांक–20.12.19

सरकार बनाम रामचन्द्र वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रामसिंह पुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली के ख0 न098/2.0है0 किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि मेंसे 0.01है0 पर रामचन्द्र, बाबूलाल, मामचन्द पुत्र भगवानाराम जाति माली निवासी खेडकी वीरभान ने फसल कास्त गैहू कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नहीं आये तथा ना ही जबाब पेश किया अतः गैर सायलान के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायलान रामचन्द्र, बाबूलाल, मामचन्द पुत्र भगवानाराम जाति माली निवासी खेडकी वीरभान ने वाके ग्राम खेडकी वीरभान के खसरा नंबर 98/2.0है0 किस्म जमीन गै0मु0 रास्ता की भूमि मेंसे 0.01है0 भूमि पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः गैरसायलान रामचन्द्र, बाबूलाल, मामचन्द पुत्र भगवानाराम जाति माली निवासी खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम खेडकी वीरभान तहसील कोटपूतली के ख0 न0 98/2.0 है ,किस्म गै0मु0 रास्ता मे से 0.01है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायलान को उक्त आराजीयात पर बोई गई फसल गैहूं को

तहसीलदार
कोटपूतली (जय

निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी0.04रू. का पचास गुणा 2रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 20.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदा
कोटपूतली (ज

वर्ष 200 0 ...... के [illegible]
पृष्ठ संख्या ... पर ......
[illegible] किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2019.12.30 12:28:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: